तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2023 बउनवान बरजांगाराम वगैरा बनाम मूलाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 23.09.2025

उपस्थिति–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री देवाराम चौधरी।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। रेस्पों./प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने से पूर्व अपीलांट को सहखातेदार होने के बावजूद पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। सहखातेदार/रेकार्डेड खातेदार को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जबकि विधि अनुसार बिना सहखातेदारों को पक्षकार बनाये या सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2021 को जो आदेश पारित किया गया है वो दो प्रतियों में पृथक–पृथक रूप से पारित किया गया है जिसमें से एक हस्तलिखित आदेश है जिसमें खसरा नम्बरों का अंकन नहीं किया गया है व दूसरा कम्पयूटर से टंकण शुदा आदेश पारित किया गया है जिसमें खसरा नम्बरों का अंकन किया हुआ है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती एवं ताकत के बल पर प्रार्थी/अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर रहे हैं अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो प्रार्थी के अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई की जानी संभव नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेवल ही नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकता है। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतयाः विधि सम्मत है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट संख्या 1 बरजांगाराम की ओर से धारा 96 के प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अपीलांट संख्या 1 बरजांगाराम के हस्ताक्षर नहीं होकर अपीलांट संख्या 02 भंवरलाल के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट की धारा 96 अपील अनुमति पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का अपीलांट संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है। जिसको सुने बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे है। क्योंकि विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार को सुने बिना ही उसके विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। किन्तु अपीलाधीन आदेश में उक्त विधिक तथ्य का अभाव है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड सहखातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए अपीलांट संख्या 1 को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

वकील रेस्पों. द्वारा धारा 96 के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि भंवरलाल द्वारा अपने हस्ताक्षर से अपील प्रस्तुत की गयी है। धारा 96 के प्रार्थना–पत्र व उसके साथ सलंग्न शपथ–पत्र पर भी भंवरलाल के हस्ताक्षर हैं। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट संख्या 1 बरजांगाराम ने भंवरलाल को उनकी ओर से हस्तगत धारा 96 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को कहा हो या न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने को कहा हो। वकालतनामा पर भी बरजांगाराम के हस्ताक्षर नहीं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हैं। अतः धारा 96 का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमायां जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार होने से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार प्रतीत होता है। किन्तु हस्तगत अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 के शपथ –पत्र में अपीलांट संख्या 1 का हस्ताक्षर नहीं है। जिससे हाजा न्यायालय की राय में अपीलांट संख्या 1 द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत कर चाराजोही करने के प्रश्न पर संदेह प्रतीत होता है। जहां तक रेकार्डेड खातेदार का प्रश्न है उक्त के संबंध मे उल्लेखनीय है कि अपीलांट संख्या 1 के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन प्रकरण में अपनी उचित चाराजोही करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध है। उक्त अवसर की उपलब्धता के बाद भी बिना अपीलांट संख्या 1 के हस्ताक्षरित हस्तगत अपील अज अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो हाजा न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया विधि संगत प्रतीत नहीं होती है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभय पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। उक्तानुसार यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलांट/रेकार्डेड खातेदार को विधि अनुसार पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दों माह की अवधि में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली उक्तानुसार फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

25/7/2015

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नवनीत कुमार
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर